न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2023/40
मुकदमा नम्बर 07/2023 दायर दिनांक—12.01.2023

रामेश्वर पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी बलरीया ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. खेम सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. महीपाल पुत्रान गुलझारी
4. फूली देवी पत्नी गुलझारी
5. इन्द्रा पुत्री गुलझारी जाति जाट निवासी बलरिया ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

—अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : — श्री विजेन्द्र सिह दूत
अनावेदक सं. 1,2,4 —श्री प्रदीप झाझडिया
अनावेदक सं. 3,5, — एक पक्षीय
अनावेदक सं. 6 — पैरो. राज.

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश ::

दिनांक — 03-01-2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम बलरिया पटवार हल्का पबाना के भूमि ख.नं. 299 रकबा 2.86 है0 में आने जाने के लिये सार्वजनिक रास्ता नक्शें मे प्रदर्शित बिन्दू ए से बी उत्तर दिशा में चलकर अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 5 की कृषि भूमि ख.नं. 308 रकबा 0.46 है0 की पूर्वी सीमा के सहारे—सहारे होकर ए से बी बिन्दु का 20 फीट चौडा रास्ता स्थापित किया जाकर कायम किया जावे तथा दर्ज रिकार्ड किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 3,5, बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

व इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं.1,2,4 की और से जवाब प्रा. पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गयाः-

प्रार्थी द्वारा ख.नं. 309 मे से रास्ते के लिये प्रस्तुत प्रा. पत्र की माननीय न्यायालय द्वारा मु.नं. 49/2021 मे पारित निर्णय/आदेश से व्यथित होकर कोई अपील पेश नही की गई तथा ख.नं. 308 में से 20 फीट चौडा रास्ता कायम करने के लिये प्रा. पत्र पेश कर दिया जो चलने योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत प्रा. पत्र मु.नं. 49/2021 उनवानी रामेश्वर बनाम भगवाना में किये गये कथनो से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 299 के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसलिये प्रार्थी को उक्त प्रा. पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अनुबन्ध पत्र/लिखावट प्रार्थी व खसरा नं. 309 के खातेदार भगवाना के मध्य दिनांक 04.10. 2020 को निष्पादित हुई है इसलिये उक्त प्रा. पत्र चलने योग्य नही है खारिज किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत सुविधा के लिये रास्ता दिलवाये जाने का कोई प्रावधान नही है। इसलिये प्रा. पत्र खारिज किया जावे।

अनावेदक सं. 6 की और से पैरो.राज. उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/481 दिनांक 02.07.2024 पेश हुई। जिसके अनुसार आवेदक को अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये वैकल्पिक रास्ते का अभाव है तथा रास्ते की अत्यन्त आवश्यक्ता है। ख.नं. में 308 मे बिन्दु सं. ए से बी तक कुल 28 मीटर लम्बाई तथा 6.10 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 170.80 वर्ग मीटर रास्ते का बनता है। उक्त रास्ते के बिन्दू ए पर पानी के खेल तथा बिन्दू बी पर अल्डू का पेड है। यह रास्ता सबसे निकटतम एंव लघुतम रास्ता है।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी ने अपने जवाब मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/481 दिनांक 02.07.2024 अनुसार आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा आवेदक को रास्ते की परमआवश्यक्ता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई नियरेस्ट व सोरटेस्ट रास्ता नही बनता है। वैसे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क एक समरी ट्रायल है, वकील अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उजर उक्त प्रा. पत्र पर प्रभावी नही है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/481 दिनांक 02.07.2024 अनुसार पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बलरिया पटवार हल्का पबाना के भूमि ख.नं. 299 रकबा 2.86 है0 में आने जाने के लिये ख.नं. में 308 मे बिन्दु सं. ए से बी तक कुल 28 मीटर लम्बाई तथा 6.10 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 170.80 वर्ग मीटर भूमि गै.मु. सिवायचक रास्ता कायम कर दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

किये जाने का आदेश दिये जाते है। रास्ते से प्रभावित ख.नं. 308 के खातेदार काश्तकारों को डीएलसी दर की दोगुनी राशि आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/481 दिनांक 02.07.2024 मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद व मौके नियमानुसार अवरोध हटाकर,रास्ता कायम कर पालना करवाना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़